बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

15, नेहरू पथ, पटना–800001

(www.bpsc.bih.nic.in)

संक्षिप्त निविदा सूचना

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना कार्यालय में कार्यालय परिचारी के रिक्तियों के विरूद्ध आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने वाले अर्द्धकुशल मानवबलों से संबंधित निविदा हेतु पात्र ऐजेन्सी/फर्म/संस्थान से Two BID System के तहत प्रस्ताव (तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा) आमंत्रण हेतु सूचना

क्र.सं0	जानकारी	विवरण
1.	कार्यालय का नाम	बिहार लोक सेवा आयोग, पटना
2.	कार्य	कार्यालय परिचारी के रिक्तियों के विरूद्ध आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने वाले अर्द्धकुशल मानवबलों से संबंधित निविदा हेतु।
3.	अग्रधन की राशि	**1,00,000/–(एक लाख रू०) मात्र**
4.	निविदा संबंधी दस्तावेज	निविदा संबंधित दस्तावेज आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in से निःशुल्क Download किये जा सकते हैं।
5.	निविदा जारी करने की तिथि	दिनांक–11.07.2024
6.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक–26.07.2024 के 05:00 बजे शाम तक
7.	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक–30.07.2024 के 11:30 बजे पूर्वाह्न तक
8.	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	तकनीकी निविदा में सफल एजेंसी/फर्म को तत्पश्चात् वित्तीय निविदा के लिए सूचित किया जायेगा।
9.	विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क करें	**अवर सचिव, स्थापना, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना**
10.	कार्यालय का पता जिसपर निविदा के जबाब में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है	सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग 15, नेहरू पथ, पटना–800001

- आयोग बिना कोई कारण बताये किसी भी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकृत/रद्द करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है। आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- निविदा प्रस्तावों को ऐजेन्सी/फर्म/संस्थान के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्धारित स्थान, तिथि और समय को खोला जायेगा।

10/7/24

सचिव

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

1. परिचयः—बिहार लोक सेवा आयोग, पटना कार्यालय में कार्यालय परिचारी के रिक्तियों के विरूद्ध आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने वाले अर्द्धकुशल मानवबलों से संबंधित निविदा हेतु पात्र ऐजेन्सी/फर्म/संस्थान से प्रस्ताव (तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा) आमंत्रित करती है। इच्छुक मानवबल प्रदाता ऐजेन्सी/फर्म/संस्थान अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है।

2. (क) निविदा प्रारंभ होने की तिथिः—दिनांक—11.07.2024

(ख) निविदा जमा करने की अंतिम तिथिः—दिनांक—26.07.2024 के 05:00 बजे शाम तक।

(ग) निविदा/तकनीकी निविदा खुलने की तिथिः—दिनांक—30.07.2024 के 11:30 बजे पूर्वाह्न को।

(घ) तकनीकी निविदा में सफल एजेन्सी/फर्म/संस्थान को तत्पश्चात वित्तीय निविदा के लिए सूचित किया जायेगा।

(ड़) किसी भी तरह की पृच्छा के लिए अवर सचिव, स्थापना, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से समन्वय किया जा सकता है।

(च) निविदा प्रस्तावों को ऐजेन्सी/फर्म/संस्थान के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्धारित स्थान, तिथि और समय को खोला जायेगा।

(छ) बिना कारण बताये निविदा के किसी एक कंडिका/अंश या पूरी निविदा को अस्वीकृत/रद्द करने का पूर्ण अधिकार आयोग कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(ज) तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग—अलग लिफाफा में सील करके दोनों लिफाफा के उपर क्रमशः **"तकनीकी निविदा आयोग कार्यालय में मानवबल के कार्य हेतु"** एवं **"वित्तीय निविदा आयोग कार्यालय में मानवबल के कार्य हेतु"** लिखा होना चाहिए एवं इन दो अलग—अलग लिफाफा को एक बड़े लिफाफा के अंदर डालकर उसे सील करके उसके उपर **"निविदाः आयोग कार्यालय में मानवबल के कार्य हेतु"** लिखा होना चाहिए।

(झ) निविदा जमा करने की अंतिम तिथि (निर्धारित समय तक) निविदा स्वीकार की जायेगी। निविदा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस तरह से भेजा जाना चाहिए कि आयोग कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि (निर्धारित समय तक) को प्राप्त हो जाये। निविदा दाता हाथों—हाथ भी निविदा जमा करने की अंतिम तिथि (निर्धारित समय तक) को आयोग कार्यालय के पूछ—ताछ शाखा में जमा कर सकते हैं।

3. ऐजेन्सी/फर्म/संस्थान की पात्रता मानदंड

क्र०सं०	मानदंड	संबंधित दस्तावेज
1.	मानवबल प्रदाता ऐजेन्सी/फर्म/संस्थान को प्रोपराइटरशिप फर्म/लिमिटेड लाइबलिटी पार्टनरशिप (LLP)/कम्पनी या संस्थान जो कम्पनी एक्ट 1956/2013 जिनका पटना में कार्यालय हो/भारतीय श्रम अधिनियम के तहत Bihar Shop and Establishment Act के अंतर्गत मानवबल प्रदाता ऐजेन्सी/फर्म/संस्थान के रूप में निबंधित हो।	संबंधित एजेंसी/फर्म/संस्थान का निबंधन प्रमाण–पत्र/सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉरपोरेशन की प्रति (साझेदारी फर्म के मामले में सभी साझेदारो के विवरण सहित साझेदारी की प्रति। कम्पनी/बॉडी कॉर्पोरेट मामले में सभी निदेशकों के विवरण सहित निगमन का प्रमाण पत्र। एल.एल.पी के मामलो में एल.एल.पी समझौते की प्रति।) Bihar Shop and Establishment Act के तहत निबंधन प्रमाण–पत्र की प्रति।
2.	ऐजेन्सी/फर्म/संस्थान को मानवबल प्रदाता के रूप में सरकारी विभागों/केन्द्र/राज्य सरकार के कार्यालयों (प्राधिकार आदि) में सेवा देने का **05 (पाँच) वर्ष** का कम से कम अनुभव हो।	कार्यादेश/अनुबंध/अनुबंध अवधि तक कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र/कार्यानुभव प्रमाण–पत्र की प्रति।
3.	मानवबल प्रदाता ऐजेन्सी/फर्म/संस्थान का वार्षिक टर्नओवर अंतिम 3 (तीन) वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए 2 (दो) करोड़ रूपये होना चाहिए।	अंतिम तीन वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24 का पंजीकृत Chartered Accountant द्वारा अभिप्रमाणित प्रति जिसमें C.A. का UDIN No. अवश्य अंकित हो।
4.	ऐजेन्सी/फर्म/संस्थान को कम से कम 3 केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग या केन्द्र/राज्य के PSU में सेवा वर्तमान में देते रहना चाहिए।	संक्षिप्त विवरण और ऐजेन्सी के प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा–पत्र और केन्द्र/राज्य सरकार के विभागो द्वारा जारी कार्यादेश/अनुबंध की प्रति।
5.	ऐजेन्सी/फर्म/संस्थान को कम से कम 2 (दो) चालू कॉन्ट्रैक्ट का वार्षिक मुल्य 20 (बीस) लाख से कम का नहीं होना चाहिए।	साक्ष्य के रूप में अनुबंध/कार्य आदेश की प्रति।
6.	ऐजेन्सी/फर्म/संस्थान को किसी विभाग या संस्थान में डिफॉल्टर/ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए।	Notarized Affidavit
7.	ऐजेन्सी/फर्म/संस्थान को कर अधिकारियों के साथ पंजीकृत होना चाहिए।	पिछले तीन सतत् मूल्यांकन वर्षों के लिए PAN, TAN, GSTIN, ITR के रसीद की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
8.	EPFO में निबंधित होना चाहिए।	EPFO में Registration Certificate की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
9.	ESIC में ऐजेन्सी/फर्म/संस्थान निबंधित होना चाहिए।	ESIC में Employer का Registration Certificate की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
10.	एजेंसी को अग्रधन के रूप में 1,00,000/– (एक लाख रू०) मात्र का बैंक ड्राफ्ट	सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पदनाम से पटना में भुगतेय बैंक–ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक होगा। बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी मान्य नहीं होगी। EMD की राशि निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

Pramod Kr.

4. निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रियाः—

I. ऐजेन्सी/फर्म/संस्थान द्वारा तैयार की गई निविदा, साथ ही फर्म और आयोग द्वारा आदान—प्रदान की गई निविदा से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में लिखे जायेंगे।

II. लिफाफा पर फर्म का नाम और फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। ऐसे हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा किये गये सभी दायित्वों को उस फर्म द्वारा पूरा किया जाना चाहिए जिसे इस निविदा के शर्तो के अनुसार कार्य करने के लिए चुना जायेगा।

III. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग—अलग लिफाफा में सील करके दोनों लिफाफा के उपर क्रमशः **"तकनीकी निविदा आयोग कार्यालय में मानवबल के कार्य हेतु"** एवं **"वित्तीय निविदा आयोग कार्यालय में मानवबल के कार्य हेतु"** लिखा होना चाहिए एवं इन दो अलग—अलग लिफाफा को एक बड़े लिफाफा के अंदर डालकर उसे सील करके उसके उपर **"निविदाः आयोग कार्यालय में मानवबल के कार्य हेतु"** लिखा होना चाहिए।

IV. ऐजेन्सी/फर्म/संस्थान को दो भागो में निविदा जमा करनी होगीः—(क) तकनीकी निविदा (ख) वित्तीय निविदा

V. **तकनीकी निविदाः**—इच्छुक और पात्र एजेन्सीयॉ अपनी पूरी जानकारी के साथ निर्धारित प्रारूप संलग्न कर सकते हैं। प्रस्ताव नियमानुसार भरकर सभी सहायक दस्तावेज के साथ आयोग को प्रस्तुत करें।

निविदा दाता को अग्रधन (EMD) के रूप में:—**1,00,000/— (एक लाख रू०) मात्र** का सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पदनाम से पटना में भुगतेय बैंक ड्राफ्ट तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी मान्य नहीं होगी। अग्रधन की राशि तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

VI. **वित्तीय निविदाः**—वित्तीय प्रस्ताव में सभी प्रासंगिक जानकारी दी जानी चाहिए और यह जानकारी तकनीकी निविदा दस्तावेज के अनुरूप होना चाहिए।

अंको एवं शब्दो में कोई अंतर होने की स्थिति में शब्दों मे दर्शायी गयी राशि को ध्यान में रखा जायेगा।

मानवबल का दर प्रति मानवबल प्रतिमाह (अधिकतम 26 दिन) के आधार पर मान्य होगा तथा लागू दर पर GST की राशि अलग से विभाग द्वारा ऐजेन्सी को भुगतान की जायेगी। मानवबल का पारिश्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों और इस संबंध में समय—समय पर श्रम संसाधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के न्यूनतम पारिश्रमिक से कम नही होगा।

मानवबल की सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा शुल्क न्यूनतम 3.85 प्रतिशत (3 प्रतिशत लाभ एवं 0.85 प्रतिशत संव्यवहार शुल्क के रूप में तथा अधिकतम 7 प्रतिशत संव्यवहार शुल्क सहित) होगी। इसी आधार पर निविदा दाखिल करना होगा। सेवा शुल्क के दर में अंकित रूपये में दशमलव के पश्चात 02 अंक से आगे अंकित अंक को नजर अंदाज कर दिया जायेगा।

5. (I) निविदा मूल्यांकनः— निविदा प्रस्तावों को ऐजेन्सी/फर्म/संस्थान के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्धारित स्थान, तिथि और समय पर खोला जायेगा।

II. **फर्मो की शॉर्टलिस्टिंगः—**

निर्धारित अंतिम तिथि और समय के भीतर प्राप्त प्रतिक्रियाओं के लिए आयोग यह निर्धारित करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों की जाँच करेगा कि क्या वे आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ण हैं और यह भी कि क्या सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किये गये हैं और ठीक से हस्ताक्षर किये गये हैं आदि।

आवेदन प्राप्त होने पर उसकी जाँच और मूल्यांकन किया जायेगा और आयोग आवश्यकतानुसार एजेंसी/फर्म को शॉर्टलिस्ट करेगा और उन्हें इसके बारे मे सूचित किया

Pramod Kr.

जायेगा। आयोग बिना कोई कारण बताये किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

प्रस्तावों के मूल्यांकन के दौरान आयोग अपने विवेक पर निविदा दाताओं से उनके प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण मांग सकता है। एजेंसी/फर्म को आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देना आवश्यक है।

एजेंसी/फर्म को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद उसे संशोधित करने, प्रतिस्थापित करने या वापस लेने की अनुमति नही है।

III. **वित्तीय निविदा मूल्यांकनः**—तकनीकी निविदा में सफल एजेन्सी/फर्म/संस्थान को तत्पश्चात् वित्तीय निविदा के लिए सूचित किया जायेगा।

IV. **अनुबंध की अवधिः**—चयनित ऐजेन्सी से अनुबंध प्रारंभ में **01 (एक) वर्ष** के लिए होगा जो सामान्य नियमों एवं शर्तों पर संतोषजनक सेवाओं के आलोक में नियमानुसार आगे अधिकतम **03 (तीन वर्षों)** की अवधि तक बढाया जा सकता है।

V. **अग्रधन की राशिः**—इच्छुक एजेंसी/फर्म सभी प्रकार से पूर्ण निविदा दस्तावेज के साथ **1,00,000/— (एक लाख रू०) मात्र** की अनिवार्य अग्रधन की राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग के नाम से देय होगा। निविदा में असफल एजेंसी/फर्म की अग्रधन की राशि अनुबंध दिये जाने के 10 दिन या उससे पहले यथाशीघ्र उन्हें वापस कर दी जायेगी। अग्रधन की राशि पर आयोग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

VI. **सिक्युरिटी मनीः**—सफल निविदा दाता को अनुबंध की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर **1,00,000/— (एक लाख रू०) मात्र** की सिक्युरिटी मनी जमा करनी होगी। यह राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा जो सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग के नाम से देय होगा। ऐसा करने में असफल रहने पर निविदा सौंपने के स्वीकृति पत्र को रद्द कर दिया जायेगा और अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।

VII. **संशोधन और निविदा की वापसी**—निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय के बाद एजेंसी/फर्म द्वारा किसी भी निविदा को संशोधित नहीं किया जा सकता है।

VIII. **निविदा का स्पष्टीकरणः**— यदि इस दस्तावेज पर किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़ती है, तो आयोग किसी भी एजेंसी से दिये गये ई—मेल पते पर ई—मेल द्वारा लिखित रूप में स्पष्टीकरण मांग सकती है।

IX. **संशोधित निविदाः**— यदि आवश्यक हो तो आयोग सेवा प्रदाता एजेंसी के रूप में संलग्न होने के लिए सभी पात्र एजेंसियों से वित्तीय निविदा/तकनीकी निविदा को संशोधित रूप में मंगाने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

X. **गोपनीयताः**— इस दस्तावेज में दी गयी जानकारी गोपनीय है और उन एजेंसियों द्वारा उपयोग के लिए है, जिन्हें यह जारी किया गया है। प्रत्येक पक्ष/एजेंसी दूसरे पक्ष की जानकारी को गोपनीय मानेंगी और दूसरे पक्ष की गोपनीय जानकारी को तीसरे पक्ष को प्रकट करने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। दोनो पक्ष मूल्य की जानकारी सहित आदेश/अनुबंध की सामग्री को गोपनीय रखेंगे।

XI. **सामान्य और विविध नियमों और शर्तों का अनुपालनः**— यह आवश्यक है कि सभी एजेंसियाँ इस दस्तावेज में उल्लिखित सभी सामान्य और विविध नियमों और शर्तों से सहमत हो और उन्हें एजेंसी के तकनीकी निविदा के लेटरहेड पर इस आशय का एक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। अन्यथा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जायेगा।

XII. **न्यायालय का क्षेत्राधिकारः**—किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा पटना जिला स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

XIII. **भुगतान की शर्तें** :—सभी भुगतान लागू कानूनों के अनुसार लागू करों की कटौती के अधीन होंगे और चयनित एजेंसी/फर्म को भुगतान मासिक आधार पर (अधिकतम 26 दिन) किया जायेगा।

Pramod Kr.

XIV. **मुआवजा खण्ड** :—यदि चयनित एजेंसी/फर्म के मानवबल द्वारा सरकारी सम्पति की क्षति की जाती है, तो इसकी पूर्ण भरपाई चयनित एजेंसी/फर्म को करनी होगी। यदि हर्जाना की भरपाई चयनित एजेंसी के द्वारा नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में आयोग चयनित एजेंसी/फर्म के विरूद्ध आपराधिक मामला भी दायर कर सकती है तथा हर्जाने की राशि की वसूली उन्हें भुगतान की जाने वाली राशि से की जायेगी।

XV. **एजेंसी और आयोग के बीच समझौता** :—सफल एजेंसी/फर्म को स्टाम्प अधिनियम के अनुसार गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर आयोग के साथ अपनी लागत पर एक समझौता निष्पादित करना होगा।

XVI. **समझौते की समाप्ति** :—आयोग और एजेंसी/फर्म के बीच समझौता निम्नलिखित कारणों से या बिना कोई कारण बताये आयोग के विवेक पर रद्द/समाप्त की जा सकती है:—

a) मानवबल को उपलब्ध कराने में असमर्थता (आयोग कार्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार मानवबल की माँग करने पर एजेंसी/फर्म को **01 (एक) सप्ताह** के भीतर मानवबल उपलब्ध कराना आवश्यक होगा)।
b) एजेंसी/फर्म के साथ अनुबंध में निर्धारित नियमों एवं शर्तों का पालन नहीं करने पर।
c) यदि एजेंसी/फर्म का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है।
d) निर्धारित समय—सीमा के भीतर वैधानिक देनदारियों का भुगतान न करने सहित श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन में उल्लघन के मामलें में और,
e) कोई अन्य कारण जो आयोग के विवेक पर निर्भर है।
f) आयोग एजेंसी/फर्म को सेवाओं में सुधार के लिए उचित अवसर देने के बाद एक महीने के नोटिस के साथ अनुबंध समाप्त/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। आयोग द्वारा एजेंसी को इस आशय का संचार भेजे जाने के बाद यह उचित अवधि 45 दिनों से अधिक नहीं होगी।

XVII. **विविध नियम एवं शर्तें** :—

a) एजेंसियाँ आयोग में मानवबल की सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी और आयोग के निदेशानुसार सेवाएँ प्रदान करेंगी।
b) सभी मानवबल आवश्यकतानुसार कार्यालय परिचारी के दायित्व का सम्यक् रूप से निर्वहन करेंगे। मानवबल का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में मानवबल की सेवा तत्काल प्रभाव से एजेंसी/फर्म को वापस कर दी जायेगी।
c) प्रत्येक मानवबल का कार्य अवधि, महिला के लिए सुबह 09:30 बजे से शाम 05:00 बजे और पुरूष के लिए सुबह 09:30 बजे से शाम 06:00 बजे तक रहेगा एवं मानवबल को इस अवधि में कार्यस्थल पर उपस्थित रहना पड़ेगा।
d) एजेंसी/फर्म द्वारा सिर्फ प्रशिक्षित, स्वस्थ, वयस्क एवं पूर्ण अनुशासित लोगों को ही मानवबल के रूप में कार्य करने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। बाल श्रमिक को कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किये जाने पर एकरारनामा रद्द हो जायेगा।
e) एजेंसी/फर्म द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले मानवबल के आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं होने के आशय का पुलिस सत्यापन संबंधी दस्तावेज आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
f) एजेंसी/फर्म यह भी सुनिश्चित करेंगी कि आयोग में तैनात मानवबल हर समय उचित और साफ वर्दी पहनेंगे ताकि वे आम जनता/आगन्तुकों द्वारा पहचाना जा सके। आयोग उनके वर्दी और उसके रख—रखाव संबंधी व्यय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। एजेंसी/फर्म द्वारा सभी मानवबलों को पहचान—पत्र दिया जायेगा, जो अपर सचिव (स्थापना), बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुमोदित रहना चाहिए।
g) एजेंसी/फर्म द्वारा मानवबल के कार्य की निगरानी हेतु एक पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया जायेगा, जो हमेशा आयोग कार्यालय के सम्पर्क में रहेंगे एवं उनका भुगतान एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
h) चयनित एजेंसी/फर्म को सभी मानवबलों का नाम, पता एवं फोटो पहचान—पत्र/आधार कार्ड की छायाप्रति को सत्यापित कराकर सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पास जमा करना होगा।

Pramod Kr.

i) आपातकालीन स्थिति में किसी भी समय मानवबल को कार्य हेतु बुलाया जा सकता है।

j) सभी वैधानिक आवश्यकताएँ पूरी करने की जिम्मेवारी एजेंसी/फर्म की होगी।

k) एजेंसी/फर्म का भुगतान माहवारी विपत्र के आधार पर किया जायेगा। विपत्र के साथ पिछले माह जमा की गयी EPFO, ESIC एवं GST की रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

l) एजेंसी/फर्म अपने कर्मियों को बिहार सरकार (श्रम संसाधन विभाग) द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के भुगतान हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। साथ ही समय–समय पर सरकार द्वारा किये गये परिवर्तन के आलोक में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान एजेन्सी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

m) पूरे महीने के लिए मानवबल के कार्य हेतु प्रति मानवबल को दी जाने वाली पारिश्रमिक पर होने वाले खर्च एवं अन्य सभी तरह के खर्च, EPFO, ESIC Contribution की राशि की पूर्ण गणना करके पूरे महीने के लिए एक मानवबल के लिए अपना Monthly Rate वित्तीय निविदा में दर्ज करेंगे, जो Without GST Rate होगा। दर्ज Monthly Rate पर लागू दर पर GST की राशि का भुगतान आयोग द्वारा अलग से किया जायेगा। सारी गणना सोच–समझकर करने के उपरांत ही निविदा डालेंगे क्योंकि निविदा डालने के उपरांत न्यूनतम राशि उद्धृत करने वाले एजेंसी/फर्म द्वारा कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में EMD की राशि जब्त हो जायेगी एवं इन्हें भविष्य के लिए निविदा डालने से वंचित करते हुए काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी।

n) एजेंसी/फर्म द्वारा नियुक्त मानवबल न तो आयोग के कर्मी माने जायेंगे और न ही आयोग में उनकी नियुक्ति का भविष्य में कोई दावा मान्य होगा।

o) आयोग चयनित एजेंसी/फर्म के मानवबल के कार्य से संतुष्ट रहने की स्थिति में इस निविदा अवधि को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती है। कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में आयोग कार्यालय संविदा को समाप्त कर सकती है एवं L-1 के दर पर L-2 तथा L-3 को कार्यादेश दिये जाने का अधिकार आयोग कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

p) यदि सेवा की गुणवत्ता असंतोषजनक पायी जाती है या किसी अन्य कारणों से 15 दिन की पूर्व सूचना देकर आयोग कार्यालय द्वारा किये गये एकरारमाना/अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।

q) वित्तीय निविदा में चयन के पश्चात् एजेंसी/फर्म को 10 दिनों के अन्दर एकरारनामा करना होगा।

r) एजेंसी/फर्म यह सुनिश्चित करेंगी कि उसके मानवबल किसी भी समय आयोग के मामलों से संबंधित कोई जानकारी प्रकट नहीं करेंगे।

s) आयोग किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या उसका कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

t) आउटसोर्सिंग एजेन्सी द्वारा मानवबल की सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा शुल्क की दर एवं ऐसे मानवबल के पारिश्रमिक का ससमय भुगतान हेतु निम्नवत् प्रक्रिया का पालन करना होगा:–

(i) आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानवबल की सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा शुल्क न्यूनतम 3.85 प्रतिशत (3 प्रतिशत लाभ एवं 0.85 प्रतिशत संव्यवहार शुल्क के रूप में) तथा अधिकतम 7 प्रतिशत (संव्यवहार शुल्क सहित) होगी।

(ii) उक्त निर्धारित न्यूनतम सेवा शुल्क की अधिसीमा से न्यून एवं निर्धारित अधिकतम सेवा शुल्क की अधिसीमा से उच्च दर अंकित करने वाले एजेंसी/फर्म की वित्तीय निविदा विचारणीय नही होगी। सेवा शुल्क के दर में अंकित रूपये में दशमलव के पश्चात 2 अंक से आगे अंकित अंक को नजरअंदाज कर दिया जायेगा।

(iii) निविदा में यदि एक से अधिक एजेंसी/फर्म द्वारा उद्धृत (Quoted) न्यूनतम सेवा शुल्क की दर समान पाई जाती है, तो वैसी स्थिति में लॉटरी के माध्यम से निविदा का निष्पादन किया जायेगा तथा इस पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी कराई जायेगी। निविदा के निष्पादन की पूरी प्रक्रिया में बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन अपेक्षित होगा।

(iv) मानवबल को श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी एवं उस पर लागू वैधानिक देयता का भुगतान अनिवार्य होगा।

Pramod Kr.

(v) चयनित एजेंसी/फर्म के द्वारा सेवा प्रदान कर रहे मानवबल को प्रति माह पारिश्रमिक के भुगतान में श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान मानवबल के आधार संबद्ध बैंक खाता में RTGS की प्रक्रिया से किया जायेगा। यह भुगतान सेवा प्राप्त कर रहे विभाग/प्राधिकार द्वारा आउटसोर्सिंग एजेन्सी को राशि विमुक्ति की तिथि के तीन कार्य दिवस के अंदर संबंधित एजेंसी/फर्म द्वारा किया जायेगा। संबंधित कार्यालय/प्राधिकार द्वारा भुगतान आउटसोर्सिंग एजेन्सी को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक प्राप्त विपत्र के आलोक में राशि का भुगतान किया जाना होगा। साथ ही सभी वैधानिक कटौती की राशि को ससमय संबंधित प्राधिकार (यथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम इत्यादि) में आउटसोर्सिंग एजेन्सी द्वारा जमा कराना होगा।

(vi) मानवबल के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस में कार्य किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाश के दिन भी कार्य लिया जा सकता है। अधिकतम 26 दिन के अतिरिक्त राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाश के दिन कार्यालय में उपस्थित रहने पर बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम–25 में विहित दर से समयोपरी काम का दुगुणा मजदूरी भुगतान पाने का हकदार होगा।

(vii) आउटसोर्सिंग एजेन्सी द्वारा मानवबलों के मासिक पारिश्रमिक भुगतान (आधार संबद्ध खाते में) का साक्ष्य अगले माह के विपत्र के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा विपत्र की राशि का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा। साथ ही वैधानिक कटौती/देयता (यथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान) की राशि जमा करने का साक्ष्य सहित त्रैमासिक प्रतिवेदन भी आउटसोर्सिंग एजेन्सी द्वारा सेवा प्राप्त कर रहे विभाग/प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

उदाहरणस्वरूप आपके द्वारा निम्न तरह से एक कर्मी हेतु Cost की गणना की जा सकती है (निम्न गणना सांकेतिक है)।

26 दिन के लिये मजदूरी (26 दिन × 426 रूपया)	=	11,076/–	रूपया
लागू दर पर EPFO की राशि @-------%	=	....	रूपया
लागू दर पर ESIC की राशि @--------%	=	....	रूपया
सेवा शुल्क प्रति माह @............%	=	....	रूपया

कुल राशि (Without GST) ....

कृपया उपर्युक्त राशि को ध्यान में रखते हुए वित्तीय निविदा दाखिल करें।

वित्तीय निविदा में वर्णित राशि का Justification एजेन्सी/फर्म से मांगा जा सकता है और Justification उचित नहीं रहने पर भविष्य में निविदा डालने से वंचित किया जा सकता है।

01. समय–समय पर न्यूनतम मजदूरी का Revision होता है, उसी के अनुसार एजेन्सी/फर्म मानवबलों को पारिश्रमिक का भुगतान करेंगे।
02. EPFO/ESIC/अन्य अनिवार्य राशि जमा करने संबंधी रसीद आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराने का पूर्ण दायित्व मानवबल की सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्म का होगा।

Pramod Kr.

Annexure-I
Agency/Firm's Details

To.,

Secretary,
Bihar Public Service Commission, Patna,
15, Nehru Path, Patna–800001
E-Mail ID–bpscpat-bih@nic.in
Website-www.bpsc.bih.nic.in

S.No.	Required Details			Response
General Details				
1.	Name of the Agency/Firm			
2.	Complete Postal Address of the Agency/ Firm			
3.	Telephone, Mobile and E-mail ID			
4.	Website Address (If any)			
5.	Details of ownership/constitution			
6.	Date of Incorporation of the Agency/ Firm			
7.	GST Registration No.			
8.	Income Tax PAN No.			
9.	ESIC Registration/Code No.			
10.	EPF Registration/Code No.			
Financial Information				
Relevant Financial Year		**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	Annual Turnover			
2	Net worth			
Bank Details				
1.	Bank Name			
2.	Branch Address			
3.	Account No.			
4.	IFSC Code			
Others				
1.	Details Of Major Assignment			
2.	Any Other Information Considered relevant by the Agency/ Firm			

Pramod Kr.

Annexure-II
Self Declaration

To.,

Secretary,
Bihar Public Service Commission, Patna,
15, Nehru Path, Patna–800001
E-Mail ID–bpscpat-bih@nic.in
Website-www.bpsc.bih.nic.in

Self-Declaration

Sir,

I ---------------------------------------son/daughter/wife of----------------------------------

Resident of---Proprietor/Director/ Authorized Signatory of the agency/firm, mentioned above, is competent to sign this declaration and execute this tender document.

I/We hereby certify that I/We have read the entire terms and conditions of the tender documents including all annexure(s), which form part of the contract agreement and I/We Shall abide hereby by the terms/Conditions/clauses contained therein.

The information/documents furnished along with the above application are true and authentic to the best of my/our knowledge and belief. I/We are well aware of the fact that furnishing of any false information/fabricated document would lead to rejection of my tender at any stage besides liabilities towards prosecution under appropriate law.

I/We hereby unconditionally accept the tender conditions of above mentioned tender documents (s) in it's totally/entirely.

In case any provision of this tender are found violated, then your organization shall without prejudice to any other right or remedy be at liberty to reject this tender/bid including the forfeiture of the full Earnest Money Deposit.

Authorized Signatory: ---

Name any title of Signatory: --

Stamp of the Agency/Firm ---

Pramod Kr.

Annexure-III

Financial Bid

To:,

Secretary,
Bihar Public Service Commission, Patna,
15, Nehru Path, Patna–800001
E-Mail ID–bpscpat-bih@nic.in
Website-www.bpsc.bih.nic.in

Financial Bid

I/We Herewith submit the Financial Bid for the providing manpower, as per the details give in Tender document and assessed the scope the works thoroughly and have also gone through the tender documents and understood the terms & conditions stipulated therein before quoting the rates hereunder:

S.No.	Description	Monthly Basic Wages	ESIC@--------- On Basic	EPF@-------- on Basic	Total
1.	Semi-skilled Manpower				
				Total	
	Service Charge/Profit margin of Contractor (Quote Profit in % Only)				

Fee Quoted by us is inclusive of all the statutory liability, duties fees, other charges but excluding of GST.

Authorized Signatory: ---

Name any title of Signatory: ---

Stamp of the Agency/Firm ---

Pramod Kr.